पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

| प्रहलाद शर्मा | उमरावलाल वर्मा | देवलाल गोचर |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | महामंत्री |
| मो. 94140–56109 | मो. 94148–52027 | मो. 94144–03756 |

## प्रेस–विज्ञप्ति

## सामंत समिति के साथ संगठन की वार्ता

जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2018। राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमण्डल की प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के नेतृत्व में सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित सामन्त समिति के बुलावे पर विस्तार से वार्ता हुई।

वार्ता की जानकारी देते हुए प्रदेश महिला मंत्री डॉ. अरूणा शर्मा ने बताया कि संगठन ने अध्यापक संवर्ग को केन्द्र के शिक्षकों के समान वेतनमान एवं पे–मैट्रिक्स दिये जाने पर संगठन का औचित्य रखते हुए कहा कि केन्द्र ने छठें वेतन आयोग की अभिशंसाओ के कारण शिक्षकों को विशेष वेतन दिया था मगर राज्य सरकार ने केन्द्र के अनुरूप न देकर अन्याय किया है जिससे अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई है। अतः राज्य के शिक्षक संवर्ग को केन्द्र के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिये। संगठन ने न्यूनतम वेतन केन्द्र के समान 18000 रू. किये जाने एवं केन्द्र के समान ही पे–लेवल की संख्या 18 रखी जाने का औचित्य भी स्पष्ट किया।

संगठन मंत्री महावीर प्रसाद सिंहल ने वार्ता में कहा कि समान ग्रेड–पे से बने पे लेवल का प्रारम्भिक वेतन समान रखे जाने, नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन श्रृंखला दिये जाने, कार्मिकों द्वारा पुनर्विकल्प दिये जाने तथा राजपत्रित अधिकारियों को 9–18–27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी.
स्वीकृत किये जाने के संबंध में विस्तार से संगठन का पक्ष रखा।

प्रदेश कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने 2007 से 2009 के मध्य नियुक्त अध्यापक व प्रबोधक की वेतन विसंगति को दूर कर उनके साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने, वरिष्ठ अध्यापक की वेतन निर्धारण में हुई विसंगति को दूर कर न्यूनतम 16290 में वेतन निर्धारण करने तथा अनुसूची–5 में व्याख्याता का वेतन 16290 करने के आदेश को वापस लेकर न्यूनतम 18750 ही रखने के संबंध में संगठन का दृष्टिकोण तथ्यों सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के सचिव चन्द्रप्रकाश शर्मा ने प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक से समायोजित एवं पदौन्नत अध्यापकों की वेतन विसंगति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इन्हें अध्यापक के समान ए.सी.पी. पर 4200–4800 एवं 5400 की ग्रेड–पे स्वीकृत किये जाने के तर्क देते हुए राज्य कर्मचारी की पेंशन प्राप्त करने की 28 वर्ष की सेवा के स्थान पर केन्द्र के समान 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन दिये जाने तथा मृतक कर्मचारी के आश्रित को केन्द्र के समान 10 वर्ष तक पूर्ण पेंशन देने के सम्बन्ध में संगठन का पक्ष रखा।

समिति के अध्यक्ष डी.सी. सामन्त ने सदस्यों सहित संगठन के पक्ष को ध्यानपूर्वक सुना तथा संगठन के दृष्टिकोण से परिचित होकर राज्य सरकार को उचित अभिशंसा करने का आश्वासन दिया। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश शर्मा)
प्रदेश सचिव (प्रा.शि.)

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

| प्रहलाद शर्मा | उमरावलाल वर्मा | देवलाल गोचर |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | महामंत्री |
| मो. 94140–56109 | मो. 94148–52027 | मो. 94144–03756 |

क्रमांक : 1006 दिनांक 25 अप्रैल 2018

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
वेतन विसंगति निवारण समिति,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– संगठन द्वारा सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन के औचित्य के संबंध में मत।

प्रसंग :– संगठन का आपको प्रस्तुत पत्र क्रमांक 976 दिनांक 30 जनवरी 2018

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संगठन द्वारा 30 जनवरी 2018 को सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया था। संगठन ने अपने ज्ञापन में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया था उनके सम्बन्ध में बिन्दुशः विस्तृत औचित्य प्रस्तुत है।

**बिन्दु संख्या 1 – अध्यापक संवर्ग को केन्द्र के शिक्षकों के समान वेतन –**

राज्य के शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के अनुरूप केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाने का राज्य सरकार के साथ समझौता है। लेकिन छठे वेतनमान में राजस्थान में शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के अनुसार केन्द्र के अनुरूप पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे नहीं दिए गए। कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 01.07.2013 से इसमें संशोधन तो किया लेकिन व्याख्याता व प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के अलावा अन्य पद के शिक्षकों को केन्द्र के समकक्ष ग्रेड–पे नही दिये। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि छठें वेतनमान में केन्द्र सरकार ने शिक्षक एवं नर्सिंग ग्रेड को विशिष्ठ सेवा मानते हुए बाकी कर्मचारियों से विशेष वेतनमान की अभिसंशा की थी मगर राज्य सरकार ने वांछित संशोधन नही किये जिससे केन्द्र की तुलना में राज्य के शिक्षकों को न्यून वेतनमान मिल रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कई संवर्गों को केन्द्र में दिये गये वेतनमान से अधिक भी दिया है यथा – 1900 की ग्रेड–पे वाले कतिपय संवर्ग को 2400 की ग्रेड–पे के अनुसार तथा 2400 की ग्रेड–पे वाले कुछ संवर्ग को 2800 की ग्रेड–पे के अनुसार वेतनमान दिया है जबकि शिक्षक संवर्ग को केन्द्र के शिक्षक संवर्ग का जितना वेतनमान है उतना भी नही देकर न्याय नही किया।

शिक्षक संवर्ग में छठें वेतनमान में रही विसंगतियों का निराकरण नहीं करने के कारण सातवें वेतनमान में निम्न प्रकार लेवल एवं पे मेट्रिक्स निर्धारण में विसंगतिया उत्पन्न हो गई हैं : –

## शिक्षक संवर्ग को केन्द्र व राज्य में मिल रहा वेतनमान व पे–मैट्रिक्स

| क्र. सं. | नाम संवर्ग | केन्द्र पे–ग्रेड | केन्द्र के वेतनमान में पे–मैट्रिक्स | राज्य पे–ग्रेड | राज्य के वेतनमान में पे–मैट्रिक्स | प्रारम्भिक अन्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अध्यापक एवं समकक्ष | 4200 | 35400–112400 | 3600 | 33800–106700 | 1600 |
| 2 | वरि.अध्यापक एवं समकक्ष | 4600 | 44900–142400 | 4200 | 37800–119700 | 7100 |
| 3 | व्याख्याता एवं समकक्ष | 4800 | 47600–151100 | 4800 | 44300–140100 | 3300 |
| 4 | प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष | 5400 | 56100–177500 | 5400 | 56100–177500 | – |
| 5 | प्रधानाचार्य एवं समकक्ष | 7600 | 78800–209200 | 6600 | 67300–195000 | 11500 |
| 6 | जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष | 7600 | 78800–209200 | 6800 | 71000–199500 | 7800 |

केन्द्र के अनुरूप शिक्षकों के देय वेतन में रही विसंगतियों पर विशेष रूप से विचार कर निम्न संशोधन किया जाये :–

1. अध्यापक/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू. कर पे–मैट्रिक्स 35400–112400 किया जाये।
2. वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू. कर पे–मैट्रिक्स 44900–142400 किया जाये।
3. व्याख्याता/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4800** रू. मानकर पे–मैट्रिक्स 47600–151100 किया जाये।
4. प्रधानाचार्य/समकक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **7600** रू. कर पे–मैट्रिक्स 78800–209200 किया जाये।

राजस्थान में सातवाँ वेतनमान लागू किया जा चुका है परन्तु सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुरूप अभी तक शिक्षकों के छठें वेतनमान में पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे की विसंगतियों को दूर करते हुए इसे लागू नहीं किया गया है जिससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिसके कारण शिक्षकों में भारी असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है।

**बिन्दु संख्या 2 – न्यूनतम वेतन 18000 रू. किया जावे :–**

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान में न्यूनतम वेतन 18000 रू. स्वीकृत किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 17700 रू. निर्धारित किया गया है। अतः पे–मैट्रिक्स में संशोधन कर न्यूनतम वेतन निर्धारण में रही विसंगति को दूर कर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाये। चतुर्थ व पंचम वेतनमान में न्यूनतम वेतन केन्द्र के समान हूबहू दिया गया था।

**बिन्दु संख्या 3 – केन्द्र के समान पे–लेवल की संख्या 18 रखी जावे :–**

केन्द्र में पे लेवल की संख्या 18 है जबकि राज्य में इन्हें बढ़ाकर 24 कर दिया गया है जिससे केन्द्र के समान वेतनमान नही मिल पा रहे है। केन्द्र के समान पे लेवल संख्या निर्धारण हेतु पे लेवल 1 व 2 को पे–मैट्रिक्स 18000–56900 में, पे लेवल 5 व 6 को पे–मैट्रिक्स 25500–81400 में, पे लेवल 8 को पे–मैट्रिक्स 29200–92300 में तथा पे लेवल 10 को पे–मैट्रिक्स 35400–112400 में मर्ज किया जाये तथा इसी प्रकार आगे के लेवल का निर्धारण किया जाये।

**बिन्दु संख्या 4 – समान ग्रेड–पे से बने पे लेवल का प्रारम्भिक वेतन समान रखा जाये :–**

राज्य सरकार द्वारा जारी पे–मैट्रिक्स में केन्द्र के समान ग्रेड–पे वाले पे लेवल में प्रारम्भिक वेतन केन्द्र सरकार से कम निर्धारित किया गया है जिसे केन्द्र के समान किया जाये।

**बिन्दु संख्या 5 – नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन श्रृंखला दी जाये :–**

केन्द्र सरकार द्वारा कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जा रही है। तद्नुरूप राज्य सरकार के कार्मिकों को भी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर स्थिर वेतन व्यवस्था को समाप्त किया जाये। इस विषय को लेकर शिक्षक बार–बार न्यायालय में जा रहे है जिससे हजारों प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शिक्षक एवं विभाग का श्रम, समय व धन व्यर्थ जा रहा है। अतः केन्द्र के अनुरूप नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतन देते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से ही वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया जाये।

बिन्दु संख्या 6 – कार्मिकों द्वारा विकल्प तिथि का समय संशोधित किया जाये :–

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में कार्मिकों द्वारा सातवें वेतनमान की विकल्प तिथि दिनांक 01–01–2016 से 30–10–2017 के मध्य एवं आगामी वेतन वृद्धि तिथि 01 जुलाई 2018 एवं 2019 को ही हो सकती है। इन आदेशों में संशोधन करते हुए 30 अक्टूबर 2017 के पश्चात् विकल्प देने की छूट प्रदान की जाये जिससे कार्मिक की ए.सी.पी./पदोन्नति तिथि दिनांक 30–10–2017 के पश्चात् होने पर उसे उस तिथि का विकल्प लेने की सुविधा मिल सकें।

बिन्दु संख्या 7– राजपत्रित अधिकारियों को 9–18–27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाये :–

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य सेवा के अधिकारियों को 10–20–30 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. का लाभ देय है। इस प्रावधान के कारण राज्य सेवा में पदोन्नत होने वाले अधीनस्थ कार्मिकों को अपने से कनिष्ठ कार्मिकों के पश्चात् ए.सी.पी. का लाभ मिलता है। इस विसंगति के कारण वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिये राज्य सेवा के अधिकारियों को भी 10–20–30 के स्थान पर 9–18–27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाये।

बिन्दु संख्या 8 – 2007 से 2009 के मध्य नियुक्त अध्यापक व प्रबोधक की वेतन विसंगतिः–

राजस्थान सरकार ने दिनांक 01.01.2006 से नोशनल बेनिफिट देते हुए राज्य कर्मचारियों को छठें वेतनमान के परिलाभ दिये थे तथा कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने 1–07–2013 को संशोधन जारी किये थे। दिनांक 01.01.2006 से लागू छठें वेतनमान में 01.07.2013 से संशोधन किये जाने से 2007 से 2009 तक नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधकों के साथ वेतन विसंगति उत्पन्न हो गई। जो निम्न प्रकार है –

दिनांक 01.01.2006 से नोशनल बेनिफिट के साथ छठें वेतनमान को लागू किया था अर्थात् उक्त तिथि के पश्चात् कार्यरत समस्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचनाओं के आधार पर दिनांक 01.01.2006 से नोशनल आधार पर तथा दिनांक 01.07.2017 से नगद दिया जाकर किया गया। वर्ष 2007 से 09 में नियुक्त अध्यापक व प्रबोधक का इसी आधार पर वेतन निर्धारण कर दिया गया मगर 2013 के संशोधन के कारण निम्न विसंगति उत्पन्न हो गई।

अधिसूचना जारी होने से पूर्व छठें वेतनमान में वेतन निर्धारण –

पे–बैण्ड 5200–20200 ग्रेड–पे 2800

अध्यापक का प्रारंभिक वेतन 8370

सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 8370 + 2800 = 11700

अधिसूचना जारी होने के बाद 01.07.2013 को छठें वेतनमान में वेतन निर्धारण –

पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 3600

अध्यापक का प्रारंभिक वेतन 9300 (यह प्रारंभिक वेतनमान 10230 होना चाहिये था)

सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक का प्रारंभिक मूल वेतन 9300 + 3600 = 12900 (यह वेतन 10230 + 3600 = 13830 होना चाहिये था)

वर्ष 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापक व प्रबोधकों को संशोधित वेतनमान निर्धारण में केवल ग्रेड–पे का अन्तर ही दिया गया अर्थात् 8370 + 2800 = **11170** को संशोधित कर 8370 + 3600 = 11970 रूपये ही दिया गया जबकि 2012 में सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक को 9300 + 3600 = **12900** दिया गया है जिससे वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ कार्मिक से कम वेतन प्राप्त हो रहा है यह एक गंभीर विसंगति है।

अधिसूचना दिनांक 6.04.2013 के नियम संख्या 28 में यह वर्णित है कि यदि किसी कार्मिक की **Last Drawn Salary, Revised Running Pay-Band** से कम है तो पहले उस कार्मिक को **Revised Running Pay-Band** के न्यूनतम पर फिक्स किया जायेगा अर्थात् पहले 8370 + 2800 = 11170 के स्थान पर नोशनल 9300 + 3600 = **12900** पर फिक्स किया जायेगा ततपश्चात् दिनांक 01.07.2013 से नगद लाभ दिया जायेगा। 2012 में नियुक्त अध्यापक/प्रबोधक को यह प्रारंभ से ही मिल रहा है।

एक ही वेतन आयोग में समान कैडर में काम करने वाले कर्मचारियों का अलग–अलग वेतन निर्धारण किया जाना न्याय संगत नहीं है इसी प्रकार नियम संख्या 28 की सही व्याख्या करते हुए 2007 से 2009 की अवधि में नियुक्त अध्यापक तथा प्रबोधक की वेतन विसंगति का निवारण करते हुए इन्हें अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 के आधार पर प्रारंभिक वेतन 10230 + 3600 = 13830 करने का कष्ट करें।

## बिन्दु संख्या 9 – वरिष्ठ अध्यापक की वेतन विसंगति :–

शिक्षक वर्ग में वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष के अलावा सभी को यथा अध्यापक/व्याख्याता/प्रधानाध्यापक को प्रारम्भिक वेतनमान 01–07–2013 के आदेशानुसार केन्द्र में देय फॉर्मूले के अनुरूप दिया गया है लेकिन वरिष्ठ अध्यापक को प्राप्त वेतन 5500 रू. ही मानते हुए (**5500 x 1.86 = 10230 + 4200 = 14430)** दिया गया है। जबकि इस वर्ग को केन्द्र के अनुरूप **(6500 x 1.86 = 12090 + 4200 = 16,290)** रू. दिया जाना चाहिये।

## बिन्दु संख्या 10 – व्याख्याता की वेतन विसंगति :–

व्याख्याता/समकक्ष को 01.07.2013 से 18750 रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण किया गया है। इनके फिक्स वेतन निर्धारण में अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक (मा.शि.) के लिए प्रयुक्त केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन के अनुसार फॉर्मूले का उपयोग किया गया है जो कि उचित है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी शिड्यूल–5 के संशोधित आदेशों में इनका वेतन कम करते हुए इन्हें 16290 रू. पर फिक्स कर दिया। इससे व्याख्याता/समकक्ष को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। एक बार दिये हुए वेतन को कम किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित एवं तर्क संगत नहीं है। अतः इस विसंगति का तत्काल निवारण कर केन्द्र के अनुरूप व्याख्याता/समकक्ष का वेतन 18750 रू. रखते हुये आगामी वेतन निर्धारण किया जाये।

बिन्दु संख्या 11 – प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक से समायोजित एवं पदौन्नत अध्यापकों की वेतन विसंगति :–

राज्य के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद के समकक्ष के मानते हुए 12 अक्टूबर, 1997 में प्रयोगशाला सहायकों को अधिशेष घोषित कर तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक पदों पर समायोजित किया गया था, जो समायोजित अध्यापक प्रशिक्षित नही थे, उन्हें तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करना था। इस हेतु स्वयं राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर डाईट के माध्यम से **BSTC** प्रशिक्षण दिलवाया था इनमें से कुछ ने अपने स्तर पर **B.Ed.** कर प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त कर ली थी।

हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी व **BSTC** से बने अध्यापक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदौन्नति शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता स्नातक, शिक्षा स्नातक होने पर ही होती है। प्रयोगशाला सहायक को अध्यापक के समकक्ष मानते हुए स्नातक व शिक्षा स्नातक की योग्यताधारी कार्मिकों को अध्यापक के समान ही वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदौन्नत किया जाता रहा है।

1. प्रयोगशाला सहायकों को 1997 में अध्यापक पद पर समायोजित करते समय दोनों पदों के वेतनमान एवं एसीपी समान थे। दिनांक 01.07.1998 से प्रयोगशाला सहायक से समायोजित प्रशिक्षित अध्यापक को अध्यापक के समान 4500–7000 वेतनमान एवं प्रयोगशाला सहायक से समायोजित अप्रशिक्षित अध्यापक को प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त करने पर 4500–7000 वेतनमान प्रदान किया गया।

   दिनांक 01.01.2006 में प्रयोगशाला सहायक से समायोजित प्रशिक्षित अध्यापक को अध्यापक (तृ.वे. श्रृ.) के समान 5200–20200 वेतनमान में 2800 प्रारम्भिक वेतन दिया जाकर एसीपी के रूप में 3200, 3600, 4200 प्रदान की गयी।

   दिनांक 01.07.2013 से राज्य सरकार ने अध्यापक को 9300–34800 वेतनमान में 3600 प्रारम्भिक ग्रेड–पे देते हुए एसीपी के रूप में 4200, 4800, 5400 दिया गया, जबकि प्रयोगशाला सहायक से समायोजित प्रशिक्षित अध्यापक एवं पदौन्नत अध्यापक को 5200–20200 वेतनमान में 2800 प्रारम्भिक ग्रेड–पे देते हुए एसीपी के रूप में 3600, 4200, 4800 ही दिया जा रहा है।

   वस्तुतः समायोजित एवं पदौन्नत प्रयोगशाला सहायक, अध्यापक के समान समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता रखता है एवं अध्यापक के समस्त उत्तदायित्वों को वहन करता है। इनमें से कई समायोजित अध्यापक वर्तमान में पदौन्नत होकर वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता के पदों पर भी कार्य कर रहे है। तथा राज्य सरकार ने विभागीय हित में निर्णय लेकर प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक पद पर समायोजित किया था अतः अध्यापक पद के अनुरूप ही उन्हें समस्त परिलाभ यथा प्रारम्भिक ग्रेड–पे 3600 एवं एसीपी पर 4200, 4800 व 5400 स्वीकृत की जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या 12 – राज्य कर्मचारी की पेंशन प्राप्त करने की अर्हता केन्द्र के समान करने बाबत् :–

राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण पेंशन 28 वर्ष सेवा करने के पश्चात् दी जाती है जबकि केन्द्र के द्वारा 20 वर्ष सेवा करने के बाद पूर्ण पेंशन दी जाती है। जबकि राजस्थान में राजकीय सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है तथा अनुसूचीत जाति, जनजाति, विधवा, परित्यक्ता श्रेणी में 5 वर्ष की अधिक छूट भी दी जाती है जो कि केन्द्र से अधिक है। अतः राज्य में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की सेवा 28 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या 13 – मृतक कर्मचारी के आश्रित को केन्द्र के समान पेंशन देने बाबत् :–

राज्य कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 7 वर्ष तक पूर्ण पेंशन जाती है जबकि केन्द्र में कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 10 वर्ष तक पूर्ण पेंशन दी जाती है। अतः राज्य में भी मृतक आश्रित को 10 वर्ष तक पूर्ण पेंशन दी जानी चाहिये।

निवेदन है कि संगठन द्वारा उक्त बिन्दुओं के तथ्यों पर विचार कर सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के समान समस्त वांछित संशोधन करने हेतु सरकार को अपनी अभिशंसा करें।

(प्रहलाद शर्मा)
अध्यक्ष

(देवलाल गोचर)
महामंत्री